संख्या-20/2016/1272/एक-4-16-02बी-4/2016 टी0सी0

प्रेषक,

बीरबल सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त् एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0,लखनऊ।
2- जिलाधिकारी,
जौनपुर , चन्दौली, सुल्तानपुर, रायबरेली।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर,2016**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला प्रशासन हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ एवं उपरोक्त जनपदों के जिलाधिकारियों के पत्रों के माध्यम से प्राप्त निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों के क्रय किये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआा है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न परिशिष्ट-क में उल्लिखित विवरण के अनुसार जिला प्रशासन के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारियों के निष्प्रयोज्य वाहनों (अम्बेसडर/टाटा स्पेशियो/जीप) के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन के रूप में महिन्द्रा कम्पनी की 05 बोलेरो वाहन क्रय किये जाने हेतु (प्रतिवाहन रू0-6,68,001/- की दर से) कुल धनराशि रू0-33,40,005/- की स्वीकृति/व्यय किये जाने की निम्नलिखित शतों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(2) उक्त वाहनों का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना-14-मोटर गाडियों का क्रय मद के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि से संबंधित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-5-982/दस-2016, दिनांक 30 सितम्बर,2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त। (परिशिष्ट-क)

भवदीय,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-20/2016/1272(1)एक-4-16-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (प्रथम),उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जौनपुर , चन्दौली, सुल्तानपुर, रायबरेली ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-5
4- वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-2।
5- राजस्व अनुभाग-6
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट -क

शासनादेश संख्या-20/2016/1272/एक-4-16-02बी-4/2016 टी0सी0, दिनांक 30 सितम्बर,2016 का संलग्नक।

क्रम सं0	जनपद का नाम	निष्प्रयोज्य वाहन की संख्या एवं प्रकार	स्वीकृत वाहन	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	जौनपुर	यू0पी0-62ए0जी0-0001(अम्बेसडरकार)	बोलेरो	6,68,001/-
2	चन्दौली	यू0पी0-67/5555 (टाटा स्पेशियो)	बोलेरो	6,68,001/-
3	सुल्तानपुर	यू0पी0-44जी0-0013 (टाटा स्पेशियो)	बोलेरो	6,68,001/-
4	रायबरेली	यू0पी0-33ए0जी -0014 (महिन्द्रा जीप)	बोलेरो	6,68,001/-
5	रायबरेली	यू0पी0-33 ए0जी -0006 (जीप)	बोलेरो	6,68,001/-
			05 बोलेरो वाहन	33,40,005/-

(रूपया तैंतीस लाख चालीस हजार पॉच मात्र)

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।